ment, management, augmentation, conservation and protection of ground water resource.

(b) Yes, Sir.

(c) Besides the proposal received from the Government of Andhra Pradesh for locating the Institute at Jawahar Nagar in suburbs of Hyderabad city (Ranga Reddy District), requests have also been received from the Governments of Bihar, Karnataka, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana and Union Territory of Chandigarh for setting up the Institute in the respective State, Union Territory. Therefore, with a view to select the most appropriate site for the Institute, a Site Selection Committee was constituted by the Government. The report of the Site Selection Committee has been received by the Government and its recommendations are being considered.

विकलांगों के लिए नए रोजगार केन्द्रों का खोला जाना

1726. श्री रामनरेश यादव : क्या कल्याण मंत्री 14 मई, 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 2198 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने रोज़गार केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(ख) ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाने की संभावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विकलांगों के लिए हमारे पास पहले ही सामान्य रोज़गार कार्यालयों में 23 विशेष रोज़गार कार्यालय तथा 55 विशेष सेल हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विशेष रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 13,412 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं । इस समय यह पता नहीं लगाया जा सकता कि चालू वर्ष के दौरान इनमें से कितने को रोज़गार मिलेगा ।

गुजरात में जनजातीय विकास योजनाएं

1727. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय विकास कार्यक्रम के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात की इन योजनाओं के लिए आबंटित की गई धनराशि का वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा क्या ये आबंटित धनराशियां पर्याप्त हैं और वे वास्तव में जनजाति के लोगों तक पहुंच रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जनजाति के लोगों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा क्या सरकार जनजातीय लोगों द्वारा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Member of The National Commission For SC/ST

1728. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Member of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have since been appointed;

(b) if not, by when Government propose to appoint them;

(c) whether it is a fact that the rules of the commission are framed by the Chairman;

(d) whether the Chairman has allotted work to the members of the Commission; and

(e) if not, by when the work will be allotted to them?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) As per Section 2 (4) of the Constitution (65th Amendment) Act, 1990 "the Commission shall have the powers to regulate its own Procedure."

(d) and (e) The formal distribution of responsibilities would take place in accordance with the Rules of Procedure the draft of which is under consideration of the Commission for adoption.